

11-5-22 - राजपत्रावली पेशदुर्ग

व कुलपम लघुस्मित । वक्षित उभय
पक्षकारान की कक्ष कक्ष मंतरिम
अस्पार्ड निषेधात्ता दुनी गार्ड उभय
पक्षकारान की कक्ष कुनने के
उपरान्तरइस न्यायालय द्वारा इस
संकरण में पूर्व में जारी अंतरिम
अस्पार्ड निषेधात्ता को निरस्त
किया जाना न्यायोचित पाये जाने
के कारण पूर्व में जारी अंतरिम
अस्पार्ड निषेधात्ता (79) को
निरस्त किया जाता है । एदातुषार
अहमम पहनाय जारी हो पत्रावली
पुसलशुमार छेकर नम्वर से कम
है । नदलकुमल शामिल मूल
वाद रहे । सुनाया गया ।

उपसभ्याधिकारी
मुम्बई (अलवर) डी.जे.ए.

